# नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण

(जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

# NARMADA CONTROL AUTHORITY

(Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Govt. of India)

जय हिन्द

क्र : न.नि.प्रा./क्षे. कार्या., इन्दौर/मेनपावर/2017–18/1490–99 दिनांक : 31.01.2018

प्रति,

मेसर्स इस्पाक ई. प्रा. लि.
4–5 एण्ड 6 ध्यानेश्वर दर्शन,महात्मा फूले रोड,
बी.एम. सी. अस्पताल के सामने,मुलुंड ( ई.)
मुम्बई– 400081

विषयः नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के इन्दौर स्थित कार्यालयों में कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल श्रमिक जैसे कि इलैक्ट्रीशियन प्लम्बर, मेशन, वाहन चालक, माली, सफाई वाला और मददगार इत्यादि की तैनाती का कार्यादेश।

सन्दर्भः 1. निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक : NCA/ROI/Man Power/2017/05Date : 27.11.17.
2. इस कार्यालय का अभिप्राय पत्र क्र : न.नि.प्रा./क्षे. कार्या., इन्दौर/ सिक्योरिटी/ 2017–18 / 1457–59 दिनांक : 23.01.2018
3. आपका सहमति पत्र दिनांक 30.01.2018

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के विभिन्न अनुभागों में कुशल एवं अन्य कर्मियो जैसे वाहन चालक, विद्युत कर्मी, मेशन, प्लम्बर, मददगार, माली वगैरह की सेवाएं ग्यारह माह के लिए उपलब्ध करवाने के लिए एतद् द्वारा कार्यादेश दिया जाता है। यह कार्यादेश आपके कार्य प्रारंभ की तिथि से ग्यारह माह के लिए कुल अनुमानित राशि रू. 57,95,000/– (रू. सत्तावन लाख पंच्यानवे हजार मात्र ) के लिए है। उपरोक्त निविदा के अनुसार भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी न्यूनतम दर विभिन्न वर्ग के कर्मियों के लिए निम्नानुसार होगा :

क). कुशल श्रेणी के लिए – रू. 15,418/– प्रतिमाह प्रति व्यक्ति प्रति माह

ख). अर्धकुशल श्रेणी के लिए – रू. 13,156/– प्रतिमाह प्रति व्यक्ति प्रति माह

ग). अकुशल श्रेणी के लिए– रू. 11,648/– प्रतिमाह प्रति व्यक्ति प्रति माह

1.प्रत्येक कर्मियों के व्यक्तिगत भविष्य निधि खाते क्रमांक का विवरण भविष्य निधि विभाग से सत्यापित करवाकर सम्बद्ध कर्मियों के तैनाती के 45 दिनों के अन्दर इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक कर्मी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि खाते में जमा करवायें जाने वाली राशि का विवरण प्रत्येक माह निर्धारित प्रपत्र में दिया जाना अनिवार्य होगा। कर्मचारी भविष्य निधि जमा कराने की यह प्रकिया आपको अपने कर्मचारियों के प्रति किसी भी दायित्व एवं उत्तरदायित्व (जिसमें भविष्य निधि नियमितिकरण कर्मचारियों के द्वारा आहरण भी सम्मिलित है) से किसी भी प्रकार से मुक्त नहीं करेगी तथा ऐसे प्रकरणों में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई भी दायित्व नहीं होगा। कर्मचारी भविष्य निधि विभाग से कर्मचारियों के अंशदान संबंधित चालान निर्धारित समयावधि में जमा करवाना होगा। कर्मचारियों के ई.एस.आई. कार्ड तैनाती के 30 दिनों के अंदर इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

2.सेवा शुल्क **(Service Charges)** की दरें आपके द्वारा शून्य दिया गया है अतः इसके अन्तर्गत सभी लागू वैधानिक दायित्व एवं अधिनियमों के अन्तर्गत बोनस, ग्रेच्यूटी एवं आवधिक लाभ, बीमे की किश्तें, वर्दी और सभी विविध प्रभार अन्य कल्याण संबंधी उपाय करने में होने वाले व्यय, प्रशासनिक, पर्यवेक्षण एवं प्रबन्धन, साथ ही लागू विभिन्न कर एवं शुल्क जो भी निविदा में उल्लेखित हैं। ऐजेन्सी को द्वारा वहन किया जायेगे। कर्मियों के कार्योपरि पारिश्रमिक, (यदि देय हुआ तो) के अतिरिक्त अलग से किसी अन्य प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।

NCA



3. **निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन करना होगा :–**

i) कर्मियों की तैनाती संलग्न विवरण के अनुसार किया जाना चाहिये । विवरण में दिये गये कर्मियों से अधिक की तैनाती प्राधिकृत अधिकारी के लिखित निर्देश दिये जाने के उपरांत ही किया जाना चाहिये।

ii) तैनात किये जाने वाले कर्मियों की सूची, उनका बायोडाटा इत्यादि तैनाती के 15 (पन्द्रह) दिन के अन्दर कार्यालय में जमा करवाना होगा।

iii) कर्मियों की तैनाती साधारणतया 8 घन्टे निविदा में उल्लेखित समयानुसार होगी तथा कर्मियों की संख्या में घटोतरी या बढोतरी हो सकती है।

iv) भुगतान कर्मियों की वास्तविक उपस्थिति के आधार पर न्यूनतम दर पर करना होगा।

v) कर्मियों की तैनाती (Deployment) या अनुबंध संबंधी किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार और अनुपालन करवाने के लिये निदेंशक (सिविल) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण भवन खण्ड प्राधिकृत अधिकारी होगें।

vi) निविदा प्रपत्र में दी गई समस्त निर्बन्धों एवं उपबन्धों तथा समय–समय पर जारी किए गए वैधानिक नियमों व कानूनों व उनमें किए गए संशोधनों का आपके द्वारा अनुपालन किया जाना होगा अभिष्ट होगा तथा आपके किसी भी दायित्वों एवं नियम अवहेलना के लिए नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।

vii) आपके द्वारा न.नि.प्रा. इन्दौर के पक्ष में रू. 5,79,500/– का बैंक ऑफ इन्डिया का टी.डी.आर.क्रमांक 0328455 दिनांक 30.01.2018 सुरक्षा निधि के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

viii) यह पत्र अनुबंध का भाग माना जाएगा ।

ix) कर्मियों की तैनाती हेतु यह कार्य आदेश दिनांक 01/02/2018 के 00.00 घंटे से प्रभावी होगा।

भवदीय

(अनिल जोशी)
**निर्देशक (सिविल)**

**प्रतिलिपि : सूचनार्थ।**

1. कार्यकारी सदस्य के निजी सचिव, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालय, इन्दौर।
2. सदस्य (सिविल)/सदस्य (विद्युत)/सदस्य(पर्या.एवं पुर्न.), न.नि.प्रा., केन्द्रीय कार्यालय, इन्दौर।
3. मुख्य अभियंता नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, नर्मदा सदन, केन्द्रीय कार्यालय, इन्दौर।
4. सचिव, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, नर्मदा सदन, केन्द्रीय कार्यालय, इन्दौर।
5. मुख्य सतर्कता अधिकारी न.नि.प्रा., केन्द्रीय कार्यालय, इन्दौर।
6. वित्त अधिकारी, न.नि.प्रा., केन्द्रीय कार्यालय, इन्दौर।
7. सहायक निदेशक (भवन) इन्दौर को जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार वर्तमान जनशक्ति अनुबंध से संबंधित सभी कार्य (Verification & Payment, Processing of Bill, Deployment इत्यादि )] आपके द्वारा निदेशक (सिविल) के निर्देशन में संपादित क्रिये जायेंगें।
8. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर।
9. उप निदेशक (सि.) से. कुक्षि – भोपाल